न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 198/2025 (GCMS : 2025/302)

सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह उर्फ भान सिंह जाति जटसिख निवासी 21 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **गुरसाहब सिंह** उर्फ साबा सिंह पुत्र भान सिंह उर्फ भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 21 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **मनदीप कौर** पुत्री भान सिंह पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष धारा 188, 29(ए), 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर भान सिंह के नाम चक 21 जीबी तहसील श्रीविजयनगर खतौनी नम्बर 55/57, मुरब्बा नम्बर–13, पत्थर नम्बर 154/404 में 3.213 हेक्टेयर नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 10/11 का मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर नम्बर 154/404 में 0.746 हैक्टेयर यानि कुल 3.959 हैक्टेयर नहरी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भान सिंह को यह भूमि अपने पिता मंगल सिंह के चक 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 15 में 6.05 बीघा रकबा नहरी मंगल सिंह की मृत्यु के बाद बतौर विरासतन प्राप्त हुई।

उक्त भूमि के अतिरिक्त स्व. मंगल सिंह की मृत्यु के बाद बतौर विरासतन प्राप्त हुई। इस भूमि के अतिरिक्त स्व. मंगल सिह के नाम इसी चक 6 टीके तहसील रायसिंहनगर खतौनी संख्या 3/18 मुरब्बा नम्बर 15 की 17.15 बीघा नहरी के बेचान के बाद प्राप्त हुई। प्रतिवादी भान सिंह के पिता मंगल सिंह द्वारा अपनी चक 6 टीके तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 15 की 18.15 बीघा भूमि का बेचान कर दी थी एवं खाता संख्या 3/1/6 की 6.05 बीघा भूमि के बेचान के बाद प्राप्त हुई। जमाबंदी सम्वत् 2024 ता 24 एवं सम्वत् 2002 ता 2005 की प्रति प्रस्तुत की तथा उपरोक्त भूमि में से वादी ने 1/3 हिस्सा 1.0319 हैक्टेयर रकबा खातेदार घोषित करने का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं जवाब भी पेश किया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मनदीप कौर पुत्री भान सिंह पत्नी गुरसेवक सिंह ने दिनांक 28.05.2019 को आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी को सुने ही दिनाक 24.10.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, जिसके खिलाफ प्रार्थीयान द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 01.05.2025 को निगरानी स्वीकार करने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.06.2025 मुकर्रर की गयी, जिस पर प्रार्थी वहां पेश हुआ तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जो पूर्व आदेश दिनांक 24.10.2019 को दिया है, उसी को यथावत कर देते है, जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त किया गया है, जिस पर दुबारा सुनवाई करके निर्णय पारित किया जाना है।

पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मैं तो जो पूर्व में निर्णय किया वहीं मानूंगा। पीठासीन अधिकारी का रवैया बहुत सख्त था, बड़ी मुश्किल से दिनांक 26.06.2025 तारीख डाली। तारीख डालने के पश्चात अप्रार्थी कोर्ट से निकलने के बाद कहा कि अब हमारा जल्दी फैसला हो जायेगा, क्योंकि हमने पीठासीन अधिकारी से बात कर रखी है। पीठासीन अधिकारी कर रवैया देखकर ही पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय उनके प्रभाव में है। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकरी से न्याय नहीं मिलेगा। प्रातिवादीगण द्वारा गांव में कहना कि प्रार्थीयान का वाद खारिज होते ही हम जमीन बेचान कर देगें इसलिए प्रार्थी ने मुकदमा को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस विधिक तामील के बाद, वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 04.08.2025 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 55/2010 अनवानी सुखविन्द्र सिंह बनाम भान सिंह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 29ए, 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को प्रतिवादीगण प्रभाव के कारण, अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत शीघ्र निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर